अति.आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः एफ.16(6)(3)न्याय / 2008 / 1222 दिनांकः– 10.06.2020

:: आदेश ::

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 33(2)गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 10.06.2020 के द्वारा जून, 2020 के चरणबद्व खुलने पश्चात् राज्य में कोविड–19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्वि हुई है। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लागया गया है कि वर्तमान मुक्त आवागमन व्यवस्था में कुछ व्यक्ति, जो हॉटस्पॉट / अन्य क्षेत्र से थे, वह कोविड टेस्ट पश्चात् एवं रिपोर्ट आने से पूर्व अन्य राज्यों में चले गये एवं जाने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में जाने वाले क्षेत्र में भी वे खतरा उत्पन्न कर सकते है।

आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों को मध्यनजर रखते हुए एवं जन सुरक्षा के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अन्तरराज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाये। अतः निम्न निर्देश जारी किये जाते है कि, जो आगामी आदेश तक लागू रहेंगेः–

I. राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आगमन

राज्य से बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश निम्नानुसार नियंत्रित किया जायेगाः

1. **निर्धारित ट्रेन / बसः**– ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के पश्चात ही यात्रा करने हेतु अनुमत है। रेलवे स्टेशन / बस स्टेण्ड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जायेगी।
2. **सड़क मार्ग से (निजी बस / टैक्सी / निजी परिवहन):**– बॉर्डर पर स्थापित चैकपोस्ट पर समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जायेगी एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जायेगी।

II. राज्य के बाहर व्यक्तियों का प्रस्थान

1. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। ऑनलाईन (epass.rajasthan.gov.in) पास सुविधा के साथ–साथ यह पास निम्न कार्यालयों से भी प्राप्त हो सकेगा।
   (1) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं।
   (2) जिला पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं।
   (3) संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट।
   (4) संबंधित उप पुलिस अधीक्षक।
   (5) स्थानीय पुलिस स्टेशन।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु जो व्यक्ति वहां पर पास बनवाना चाहता है, उसको यात्रा के प्रस्थान से काफी समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा सम्बन्धी स्क्रीनिंग की पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।
3. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं (क्रम संख्या 02 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग व पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर किया जायेगा।
4. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी, परन्तु उनकी यात्रा / अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगाः–
   (1) जो व्यक्ति 10 जून, 2020 को निर्धारित उड़ान / ट्रेन / RSRTC बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है।
   (2) विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यू / एक्सीडेन्ट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में), सत्यापन पश्चात।

Scanned with CamScanner

(3) मीडिया तथा अत्यावश्यक सेवाओं में सलंग्न व्यक्ति अपने परिचय पत्रों के आधार पर आवागमन कर सकेगें।

उक्त आदेश अन्तरराज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों पर ही लागू होगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (लोडेड/अनलोडेड) का आवागमन बिना किसी परमिट के पूर्वतत: निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

10/6/2020

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
झुंझुनूं

कमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/1222 दिनांक:– 10.06.2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुन्झुनूं।
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त जिला झुंझुनू।
8. उप पुलिस अधीक्षक, ______________________ (समस्त जिला झुंझुनूं)
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, झुन्झुनूं।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनूं।
11. आयुक्त, नगरपरिषद, झुंझुनू।
12. प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं।
13. जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुन्झुनूं।
14. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समस्त जिला झुंझुनूं ।
15. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनूं ।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुन्झुनूं।
17. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू।
18. जिला स्तरीय/उप खण्ड स्तरीय अधिकारीगण समस्त जिला झुन्झुनूं।

10.06.2020

प्रभारी अधिकारी,
न्याय अनुभाग एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं

Scanned with CamScanner